Result Mitra Daily Magazine

ड्राफ्टिंग समिति और अम्बेडकर

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में "भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा" पर राज्यसभा में बहस के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के एक बयान ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया।
- यह घटना सामाजिक न्याय के विचार एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को उजागर करती है।

➢ मसौदा समिति :

- मसौदा समिति या प्रारूप समिति (Drafting Committee) की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को डॉ. B.R. Ambedkar की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
- इस समिति ने 165 दिनों के भीतर संविधान का मसौदा तैयार कर लिया।
- समिति ने 11 सत्रों में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों वाला संविधान तैयार किया, जिसमें 7635 संशोधन लाए गए। हालांकि अंतिम रूप से केवल 2473 संशोधन ही पेश किए गए।
- अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा पेश किया लेकिन इस पर प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया।

Note :– प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित था।

➢ प्रारूप समिति की संरचना :

❖ B.R. Ambedkar –अध्यक्ष

1. एन गोपालास्वामी (सदस्य)
2. अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर (सदस्य)
3. मोहम्मद सादुल्ला (सदस्य)
4. के.एम. मुंशी (सदस्य)
5. बी. एल. मित्र (सदस्य) :– खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिनके स्थान पर एन. माधवराव चुने गए।
6. डी. पी. खेतान (सदस्य) :– इनकी मृत्यु जाने के बाद टी. टी. कृष्णामाचारी ने उनका स्थान लिया।

Note :– प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। विशेष तथ्य है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता आंदोलन से प्रत्यक्षत: कोई संबंध नहीं था।

➢ विशेष योगदान :

- अंबेडकर ने USA में प्रचलित राष्ट्रपति शासन प्रणाली की बजाय संसदीय प्रणाली अपनाए जाने में अहम योगदान दिया।
- संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति देना भी अंबेडकर का ही निर्णय था।
- अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता एवं विभिन्न देशों के संवैधानिक ज्ञान ने उन्हें संविधान के प्रारूपण में सहयोग दिया।
- मजबूत केंद्रीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा जैसे प्रावधान अंबेडकर से प्रभावित रहे।
- संविधान के निर्माण में हुई देरी एवं खर्च के लिए अंबेडकर को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे व्यापक एवं लंबे संविधान के निर्माण में अतिरिक्त धन एवं समय लगना स्वाभाविक है।

➢ भाषण के अंश :

- 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर ने संविधान सभा के समापन भाषण में कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों पर अपना मंतव्य दिया :–

1. क्या भारत फिर से आजादी खो देगा ?

- "यह चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कि जातियों एवं पंथों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा अलग-अलग पथ एवं विचारधारा वाले राजनीतिक दल होंगे। अगर भारतीय अपने पंथ एवं विचार से देश को रखेंगे और राजनीतिक दल भी ऐसा ही करेंगे तो भारतीय आजादी सतत रहेगी।"

2. लोकतांत्रिक स्वरूप :

- "लोकतंत्र भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चली आ रही अवधारणा है। एक समय था, जब भारत गणराज्यों से भरा हुआ था तथा बौद्ध के संघ और कुछ नहीं बल्कि संसद ही थे।"

3. नेता की नायक–पूजा :

- "देश के लिए आजीवन सेवाएं देने वाले लोगों के प्रति कृतज्ञ होने में कुछ भी बुरा नहीं है लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। धर्म में भक्ति, आत्मा की मुक्ति एवं कल्याण का मार्ग दिखा सकती है लेकिन राजनीति में 'नायक–पूजा' या भक्ति अंतत: पतन एवं तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करती है।"